न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी), आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सालुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
श्रीमति सिरमीबाई पत्नि श्री चेनाराम, जाति भील, निवासी बंजारा वास, पाण्डुरी, तहसील देलदर। (प्रार्थीया अधिवक्ता श्री शरदपाल सिंह)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या5 /2024

दिनांक31.07.2024

आदेश

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम पाण्डुरी, पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि निम्न अनुसार स्थित है :–

खाता संख्या		खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
नया	पुराना		
142	134	304	0.2150
142	134	303/1	0.0379
	कुल किता	02	कुल 0.2529 हैक्टेयर

यह कि प्रार्थीया वर्णित कृषि भूमि पर काबिज काश्त है व कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन कर रही है। यह कि प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि को विकसित करने हेतु रकम की आवश्यकता थी जिस वजह से प्रार्थीया अपने खाते से संबंधित नकल राजस्व रेकर्ड से प्राप्त करने हेतु पटवारी महोदय के पास गयी, तो पटवारी महोदय ने बताया कि उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के वास्तविक नाम सिरमी बाई पत्नि चेनाराम के स्थान पर सिरमी देवी पत्नि सनाराम गलत दर्ज है, जिसे सुधरवाना आवश्यक है एवं नाम की शुद्धि होने पर ही प्रार्थीया को उक्त कृषि भूमि ऋण प्राप्त हो सकेगा। यह कि इस प्रकार पटवारी महोदय से प्रार्थीया को प्रथम बार जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के वास्तविक नाम सिरमी बाई पत्नि चेनाराम के स्थान पर सहवन से सिरमी देवी पत्नि सनाराम गलत इन्द्राज हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम गलत इन्द्राज हुआ है जो न्यायालय के आदेश से नही किया गया है यदि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम शुद्धिकरण नही किया जाता है तो प्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो जायेगी एवं उक्त कृषि को विकसित कर कृषि कार्य नही कर सकेगी, जिससे उसके विधिक अधिकारों को हनन होगा।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया। स्टेट से प्राप्त रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख कमांक 2011002755 दिनांक 2[illegible]नुसार दर्ज नामा. करण संख्या 381 में दर्ज नाम समान है अतः यह [illegible] प्रार्थीया का नाम गलत इंद्राज हुआ है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी व [illegible] दस्तावेजों व जवाब [illegible] का अवलोकन किया। चूंकि धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत राजस्व अभिलेखों की [illegible] का शुद्धिकरण किया जाने का प्रावधान है, इस हेतु प्रार्थीया को यह सिद्ध करना होगा, कि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.07.31 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

अभिलेख में जो त्रुटि है वो लिपिकीय त्रुटि हो या वह त्रुटि भू–प्रबंध विभाग द्वारा विधिक विरूद्ध इन्द्राज कि गई हो एवं इस संबंध में पूर्ववर्ति दस्तावेजो में वादी/प्रार्थी के कथनानुसार दस्तावेज साक्ष्य मौजूद होना आवश्यक है।

चूंकि स्टेट के जवाब में अंकन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख कमांक 2011002755 दिनांक 25.10.11 अनुसार दर्ज नामा. करण संख्या 381 में दर्ज नाम समान है अतः उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि नही है एवं न ही भू–प्रबंध विभाग द्वारा विधिक विरूद्ध इन्द्राज कि गई है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के दायरे में नही आने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.07.31 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested